25/10/24 पत्रावली पेश हुई → वादी- आदि० उप०
प्रतिवादी आदि० उप० प्रकरण में
मूल के कलेक्शन के समान रजिस्टर्ड एवं
पेश करें पेश करने पर जारी करें
~~पत्रावली~~ 18/11/24 को पेश हो

18/11/24 पत्रावली पेश हुई / उभयपक्ष आदि० उप०
प्रकरण प्राविक आदेश में दिनांक
3/12/24 को पेश हो

3/12/24 पत्रावली पेश हुई। वादी आदि० उप०।
वादी आभिवक्ता आगामी पेशी दिनांक
9/1/25 को आवश्यक कार्य से अद्यतन
स्थगन रिमॉर्ड की प्रतिलिपि प्रस्तुत करें। पत्रावली
दि० 9/1/25 को पेश हो।
उ०चो०अ

9/1/25 पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं वादी आदि० अनु०।
वादीगण एवं वादी आभिवक्ता को नियमानुसार
तीन बार आवाजें लगवाई गई। परन्तु कोई
उपस्थित नहीं आया। वादीगण एवं वादी आभिवक्ता
के उपस्थित नहीं आने से न्यायालय में पुनः एक
बार आवाज लगवाई गई, परन्तु कोई उपस्थित
नहीं आया। समय 5:50 PM हो चुका है। वादीगण
एवं वादी आभिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित
नहीं आने के कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद
अन्तर्गत धारा 88, 188 शपथपत्र कार्यवाही
आदीनियम को अदम हाजरी। अदम पैरवी में
खारिज किया जाता है। तदनुसार जुले न्यायालय
में भुगाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो।
पत्रावली कैलाश कुमार होकर
वापिस फैक्टर हो तथा नम्बर से कम हो।
09/01/2025
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. पन्नालाल पिता प्यारचंद जाति माली आयु वयस्क निवासी पुर, तह0 एंवं जिला भीलवाड़ा
2. बरजी पुत्री प्यारचंद जाति माली आयु वयस्क निवासी पुर, तह0 एंवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. गोपाल पिता कन्हैयालाल जाति माली आयु वयस्क निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. मदनलाल पिता कन्हैयालाल जाति माली आयु वयस्क निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. सोहनी बेवा कन्हैयालाल जाति माली आयु वयस्क निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. जगन्नाथ पिता रामचन्द्र जाति माली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. शांता देवी पत्नी मूला जाति माली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. मूला पिता बालु जाति माली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. प्रभु पिता रामचन्द्र जाति माली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 117/2011 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री अम्बालाल कुमावत अनुपस्थित – इस वाद में आज तारीख 09.01.2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है–

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

9/1/25

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा

सहायक कलक्टर भीलवाड़ा